

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती रीना, आर0ए0एस0

ई0सी0एक्ट प्रकरण सं0 14/2024

राज्य सरकार जरिये श्री कविता, जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर

प्रार्थी

बनाम

1. श्री अनिल कुमार पुत्र श्री हजारी राम, जाति सोनी, निवासी डुंगरसिंहपुरा, जिला श्रीगंगानगर।
2. फर्म/दुकान डुंगरसिंहपुरा, गणेशगढ़ हजारी सोनी के मकान पर, जिला श्रीगंगानगर

अप्रार्थी

प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए आवश्यक के तहत जब्तशुदा सामग्री 04 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 56.8किलोग्राम गैस, 02 गैस पाईप व 1 रिफिलिंग मोटर को राजसात करने बाबत।


उपस्थित : जिला रसद अधिकारी, विभागीय प्रतिनिधि

अप्रार्थी श्री अनिल कुमार उपस्थित।

निर्णय

दिनांक: 22.11.2024

प्रस्तुत प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि डुंगरसिंहपुरा, गणेशगढ़ हजारी सोनी के मकान पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का दूरुपयोग अवैध गैस रिफिलिंग में किए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टॉफ दिनांक 21.09.2024 को उक्त घर पर पहुंचे। वक्त जांच मौके पर अनिल कुमार पुत्र श्री हजारी राम, जाति सोनी, निवासी डुंगरसिंहपुरा, जिला श्रीगंगानगर उपस्थित मिला, जिन्होंने स्वयं को दुकान/फर्म/मकान का मालिक होना बताया। श्री अनिल कुमार की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया। दुकान की जांच में पाया गया कि दुकान में घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग अवैध गैस रिफिलिंग में किया जाता है। मौके पर उक्त घर में 4 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 56.8 किलोग्राम गैस, 02 गैस पाईप एवं 1 रिफिलिंग मोटर पाए गए। मौके पर पाए गए 4 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर इंडेन गैस कंपनी का है। मौके पर पाए गए 4 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 56.8 किलोग्राम गैस, 02 गैस पाईप एवं 1 रिफिलिंग मोटर वजह सबूत जब्त किया गया। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण/उपयोग संबंधी कोई भी वैध दस्तावेज श्री अनिल कुमार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री अनिल कुमार पुत्र श्री हजारीराम की दुकान पर पाए गए 4 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 56.8 किलोग्राम गैस, 02 गैस पाईप एवं 1 रिफिलिंग मोटर को जरिए फर्द जब्ती जब्त किया गया एवं श्री काशीराम पुत्र श्री रामकुमार उम्र 35 साल जाति जाट गोदाम कीपर, श्री दुर्गा इण्डेन गणेशगढ़ को सुपुर्द किया। उक्त जांच में यह स्पष्ट है कि श्री अनिल कुमार पुत्र श्री हजारीराम द्वारा अवैध तरीके से घरेलू गैस सिलेण्डर, 2 गैस पाईप एवं 1 रिफिलिंग मोटर का उपयोग अवैध गैस रिफिलिंग में किया जा रहा था। अनिल कुमार पुत्र श्री रामकुमार ने घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर का अवैध गैस रिफिलिंग में उपयोग कर LPG [Regulation of Supply and distribution] Order 2000 के क्लॉज 3(1)(ख)(ग), 4(1)(ग)(2) व

  
अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)  
श्रीगंगानगर



7(1)(ग) की स्पष्ट अवहेलना की है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि मौके से जब्त 4 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 56.8 किलोग्राम गैस, 02 गैस पाईप एवं 1 रिफिलिंग मोटर को राजसात करने का आदेश फरमावें।

परिवाद प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अप्रार्थी स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा उक्त गैस सिलेण्ड का उपयोग व्यावसायिक कार्य हेतु नहीं किया जा रहा था। उक्त जब्तशुदा गैस सिलेण्ड का उपयोग घरेलू काम हेतु उपयोग किया जाता था। अतः जब्तशुदा 4 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 56.8 किलोग्राम गैस, 02 गैस पाईप एवं 1 रिफिलिंग मोटर को प्रार्थी को वापिस दिया जाकर उक्त प्रकरण दाखिल दफतर किया जावे।

राजकीय पैरोकार ने अपने बहस में व्यक्त किया है कि डूंगरसिंहपुरा, गणेशगढ़ हजारी सोनी के मकान पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का दुरुपयोग अवैध गैस रिफिलिंग में किए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टॉफ दिनांक 21.09.2024 को उक्त घर पर पहुंचे। वक्त जांच मौके पर अनिल कुमार पुत्र श्री हजारी राम, जाति सोनी, निवासी डूंगरसिंहपुरा, जिला श्रीगंगानगर उपस्थित मिला, जिन्होंने स्वयं को दुकान/फर्म/मकान का मालिक होना बताया। श्री अनिल कुमार की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया। दुकान की जांच में पाया गया कि दुकान में घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग अवैध गैस रिफिलिंग में किया जाता है। मौके पर उक्त घर में 4 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 56.8 किलोग्राम गैस, 02 गैस पाईप एवं 1 रिफिलिंग मोटर पाए गए। मौके पर पाए गए 4 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर इंडेन गैस कंपनी का है। मौके पर पाए गए 4 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 56.8 किलोग्राम गैस, 02 गैस पाईप एवं 1 रिफिलिंग मोटर वजह सबूत जब्त किया गया। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण/उपयोग संबंधी कोई भी वैध दस्तावेज श्री अनिल कुमार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री अनिल कुमार पुत्र श्री हजारीराम की दुकान पर पाए गए 4 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 56.8 किलोग्राम गैस, 02 गैस पाईप एवं 1 रिफिलिंग मोटर को जरिए फर्द जबती जब्त किया गया एवं श्री काशीराम पुत्र श्री रामकुमार उम्र 35 साल जाति जाट गोदाम कीपर, श्री दुर्गा इण्डेन गणेशगढ़ को सुपुर्द किया। उक्त जांच में यह स्पष्ट है कि श्री अनिल कुमार पुत्र श्री हजारीराम द्वारा अवैध तरीके से घरेलू गैस सिलेण्डर, 2 गैस पाईप एवं 1 रिफिलिंग मोटर का उपयोग अवैध गैस रिफिलिंग में किया जा रहा था। अनिल कुमार पुत्र श्री रामकुमार ने घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर का अवैध गैस रिफिलिंग में उपयोग कर LPG [Regulation of Supply and distribution] Order 2000 के क्लॉज 3(1)(ख)(ग), 4(1)(ग)(2) व 7(1)(ग) की स्पष्ट अवहेलना की है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के तहत मौके से जब्त 4 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 56.8 किलोग्राम गैस, 02 गैस पाईप एवं 1 रिफिलिंग मोटर को राजसात किया जाए।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।


*(32)*  
अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)  
श्रीगंगानगर



अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि डूंगरसिंहपुरा, गणेशगढ़ हजारी सोनी के मकान पर घरेलु गैस सिलिण्डरों का दुरुपयोग अवैध गैस रिफिलिंग में किए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टॉफ दिनांक 21.09.2024 को उक्त घर पर पहुंचे। वक्त जांच मौके पर अनिल कुमार पुत्र श्री हजारी राम, जाति सोनी, निवासी डूंगरसिंहपुरा, जिला श्रीगंगानगर उपस्थित मिला, जिन्होंने स्वयं को दुकान/फर्म/मकान का मालिक होना बताया। श्री अनिल कुमार की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया। दुकान की जांच में पाया गया कि दुकान में घरेलु गैस सिलिण्डरों का उपयोग अवैध गैस रिफिलिंग में किया जाता है। एवं 1 रिफिलिंग मोटर पाए गए। मौके पर पाए गए 4 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 56.8 किलोग्राम गैस, 02 गैस पाईप इंडेन गैस कंपनी का है। मौके पर पाए गए 4 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 56.8 किलोग्राम गैस, 02 गैस पाईप एवं 1 रिफिलिंग मोटर वजह सबूत जब्त किया गया। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण/उपयोग संबंधी कोई भी वैध दस्तावेज श्री अनिल कुमार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री अनिल कुमार पुत्र श्री हजारीराम की दुकान पर पाए गए 4 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 56.8 किलोग्राम गैस, 02 गैस पाईप एवं 1 रिफिलिंग मोटर को जरिए फर्द जब्त किया गया। इससे यह स्पष्ट है कि श्री अनिल कुमार पुत्र श्री हजारीराम द्वारा अवैध तरीके से घरेलू गैस सिलिण्डरों का उपयोग किया जा रहा था।

श्री चन्द्रमोहन पुत्र श्री सुभाषचन्द्र ने घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर का अवैध गैस रिफिलिंग में उपयोग कर LPG [Regulation of Supply and distribution] Order 2000 के क्लॉज 3(1)(ख)(ग), 4(1)(ग)(2) व 7(1)(ग) की स्पष्ट अवहेलना की है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत मौके से जब्त 4 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 56.8 किलोग्राम गैस, 02 गैस पाईप एवं 1 रिफिलिंग मोटर को राजसात किया जाता है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे।  
निर्णय आज दिनांक 22.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया



  
(सीनी)  
अति० जिला मजिस्ट्रेट  
(प्रशासन), श्रीगंगानगर